

J. Rights मातिक आह्मकार Rave Subject of Judicians

J. Dutien

Should



FUNDAMENTAL RIGHTS

- The Fundamental Rights are enshrined in Part III of the Constitution (From Articles 12 to 35). / मौलिक अधिकार संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में निहित हैं।
- Part III of the Constitution is described as the Magna Carta of India. संविधान का भाग III भारत का "मैग्ना कार्टा" कहलाता है।
- Magna Carta was a Charter of Rights issued by King John of England in 1215, which was the first written document related to citizens' rights./ मैग्ना कार्टा (1215) इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर था जो नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा पहला लिखित दस्तावेज था।
- These Fundamental Rights were borrowed from the US Constitution (Bill of Rights). ये अधिकार अमेरिकी संविधान (बिल ऑफ राइट्स) से लिए गए हैं।

(12-35)



Fundamental Right	Articles	मौलिक अधिकार
Right to Equality	14-18	समानता का अधिकार
Right to Freedom	19–22	स्वतंत्रता का अधिकार
Right Against Exploitation	23-24	थोषण के विरुद्ध अधिकार
Right to Freedom of Religion	25-28	धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
Cultural and Educational Rights	29-30	सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
Right to Property	300/ 31 , 444	संपत्ति का अधिकार (44वें संशोधन द्वारा हटाया गया)
Right to Constitutional Remedies	A) (32)	संवैधानिक उपचार का अधिकार



44TH AMENDMENT, 1978

- In the year 1978, through 44th amendment act Right to property was deleted from the list of Fundamental Rights.
- वर्ष 1978 में, 44वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।
- Now it is a legal right under Article 300 A in part XII of the constitution.
- अब यह संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है।
- The number of Fundamental Rights are 6 at present day Constitution.
- वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है।





- Citizens can move the Supreme Court and other courts for the enforcement of Fundamental Rights
- नागरिक मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में जा सकते हैं।

There are two different mechanisms for the enforcement of Fundamental Rights:

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए दो अलग-अलग तंत्र हैं:

- <u>Judicial Review:</u> The court's power to review public sector bodies' actions in terms of legal and constitutional appropriateness.
- <u>न्यायिक समीक्षाः</u> कानूनी और संवैधानिक उपयुक्तता के सदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के कार्यों की समीक्षा करने की न्यायालय की शक्ति।



Article 13 explicitly provides for the doctrine of judicial review by stating that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उसका हनन करते हैं, शून्य होंगे।

Writs: Orders issued by higher courts to lower courts or a public authority commanding the performance of a particular act. Both these remedies operate through Article 32. रिट: उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों या किसी विशेष कार्य के निष्पादन का आदेश देने वाले किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को जारी किए गए आदेश। ये दोनों उपाय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं।

FEATURES OF FUNDAMENTAL RIGHTS

Protected by Constitution:

 Fundamental Rights, unlike ordinary legal rights, are protected and guaranteed by the constitution of the country.

संविधान द्वारा संरक्षित:

 मूल अधिकार, सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत, देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत हैं।



- They are not sacrosanct or permanent and the Parliament can curtail or repeal them but only by a constitutional amendment act.
- They are absolute but qualified.

पवित्र, स्थायी या निरपेक्ष नहीं:

 ये पवित्र या स्थायी नहीं हैं और संसद इन्हें केवल संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही कम या निरस्त कर सकती है।ये निरपेक्ष हैं, लेकिन अर्हताप्राप्त हैं।



FEATURES OF FUNDAMENTAL RIGHTS

Suspension of Rights:

 The rights can be suspended during the operation of a National Emergency except the rights guaranteed by Articles 20 and 21.

अधिकारों का निलंबन:

 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर, अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।



 Their application to the members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous services can be restricted or abrogated by the Parliament (Article 33)

कानूनों पर प्रतिबंध:

 संशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समरूप सेवाओं के सदस्यों पर उनके लागू होने को संसद द्वारा प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है (अनुच्छेद 33)





It explains the state. The state includes: यह राज्य की व्याख्या करता है। राज्य में शामिल हैं:

- The government and the parliament of India / भारत सरकार और भारतीय संसद
- The government and the state legislature / राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल
- All local authorities (municipalities, <u>Panchayat</u> Raj, <u>District boards, etc.)</u> / सभी स्थानीय प्राधिकरण (नगरपालिकाएं, पंचायत राज, जिला बोर्ड आदि)
- Other statutory and non-statutory authorities (LIC, ONGC, etc.) / अन्य वैधानिक और अवैधानिक प्राधिकरण (एल.आई.सी., ओ.एन.जी.सी. आदि)



ARTICLE 13

· All laws that are inconsistent with or in derogation of any of the

Fundamental Rights shall be void.

• सभी वे कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के विरुद्ध हैं या उसे हानि पहुँचाते हैं, **हैं** शून्य (अवैध) माने जाएंगे।



RIGHT TO EQUALITY

ARTICLE 14

- Equality before law and equal protection of laws. विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण।
- <u>Equality before law:</u> The absence of any special privileges in favor of any person <u>विधि के समक्ष समता:</u> किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी विशेष विशेषाधिकार का अभाव।



विधि के समक्ष समता ब्रिटिश संविधान से ली गई है।

Equal Protection of Laws: The equality of treatment under equal

circumstances.

विधियों का समान संरक्षण: समान परिस्थितियों में समान व्यवहार।

Note: This is taken from the US Constitution

यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है।



Prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth.

भेदभाव का निषधा (विभिन्न स्थानों तक पहुँच)

(Access to various places) प्ल जाति लिंग)या जन्म स्थान के आधार पर

IMPORTANT POINT TO REMEMBER:

• Article 15(3)) the state can make special provisions for women and children.

E.g. few metro seats are reserved for women passengers

- अनुच्छेद 15(3): राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। उदाहरण के लिए, मेट्रो में कुछ सीटें महिला यात्रियों के लिए आरक्षित हैं।
- Article 15(4) the state can make special provisions for the advancement of scheduled castes and the scheduled tribes./
- <mark>अनुच्छेद 15(4):</mark> राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

ARTICLE 16

रारकारा नोकरा



Equality of opportunity in matters of Public employment.

सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।

• Article 16(4): empowers the state to make special provisions for the reservation of appointments or posts in favour of any —backward class of citizen which in the opinion of state are not adequately represented in the services of the state.

 अनुच्छेद 16(4): राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिक के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, जिसका राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

ARTICLE 17



- · Abolishes 'untouchability' and forbids its practice in any form.
- यह अधिनियम 'अस्पृश्यता' को समा<u>प्त</u> करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण पर <u>रो</u>क लगाता है।
- Accordingly the Parliament passed Untouchability (offences) Act 1955.
- तदनुसार, संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया।
- In the year 1976, this act is renamed as Civil Rights Act, 1955.
- वर्ष 1976 में, इस अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 कर दिया गया।

ARTICLE 18

- Abolition of titles except military and academic.
- सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन।



RIGHT TO FREEDOM (ARTICLE 19-22)

ARTICLE 19

- Protection of 6 rights / 6 अधिकारों का संरक्षण
- Right to freedom of speech and expression 19 (1)(a) (freedom of expression means the right to express one's opinion by words of mouth, writing, printing, picture, or in any other manner) / वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19 (1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों को वाणी, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी भी अन्य माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार)
- Right to assemble peacefully and without arms / शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार
- Right to form associations / संघ या संगठन बनाने का अधिकार





- Right to reside and settle in any part of the territory of India / भारत. के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार
- Right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business / किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे का अभ्यास करने या उसे चलाने का अधिकार
- Right to acquire, hold, and dispose of property (deleted through 44th amendment) / संपत्ति प्राप्त करने, रखने और उसका निपटान करने का अधिकार (44वें संशोधन द्वारा हटाया गया)

